संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ–गोरखपुर रोड, एन0एच0–27 (पुराना एन0एच0–28) के किमी0 नं0–165 (चैनेज सं0–164.848) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं0– 402 ग्राम–बड़हर खुर्द, तहसील–हर्रैया, जिला–बस्ती (उ0प्र0) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.09.2022 को श्री राजेश, टेरीटोरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं श्री नवीन प्रकाश शाक्य, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1– पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। अप्रोच मार्ग से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.20284 हे0 भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता है।

2– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में कुल 16 वृक्ष बाधक है।

3– प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम–1980 का उल्लघंन कार्य नही किया गया है। पहुँच मार्ग हेतु निर्माण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही किया जायेगा।

4– भू–स्वामित्व विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि पर पहुँच मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि 0.20284 हे0 पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नही कर रहे है तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है, एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषण समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहे है।

5– उक्त प्रस्तावित पहुँच मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

6– उक्त रिटेल आउटलेट के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल/हेरिटेज स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नही है और न ही वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हर्रैया रेंज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बस्ती

RAJESH
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd
Gorakhpur Deoria (U.P.)

Scanned with CamScanner